

# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

## कार्यसूची

तेरहवां सत्र

मंगलवार, 20 दिसम्बर, 2016/29 अग्रहायण, 1938 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

### 1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित:

- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| (i) स्थगित      | } | पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे । |
| (ii) दिन के लिए |   |   |

(2) अतारांकित:

- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| (i) स्थगित      | } | पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे । |
| (ii) दिन के लिए |   |  |

### 2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे ।

### 3. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे :

सचिव, विधान सभा, निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

- (i) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 11);
- (ii) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 12);
- (iii) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 13);

- (iv) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 14);
- (v) हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 15);
- (vi) हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 16);
- (vii) हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 17); और
- (viii) हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्योगिकी और विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 18) ।

#### 4. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

- (1) श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
  - (i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर (कार्य संचालन नियम और प्रक्रिया) द्वितीय संशोधन नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:पर(एपी-बी)डी(3)-4/2001-III दिनांक 15.9.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.9.2016 को प्रकाशित;
  - (ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक(सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III(अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या: पीईआर(एपी-बी) बी(1)-1/2012 दिनांक 5.10.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 6.10.2016 को प्रकाशित;

- (iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन(मैम्बरज़)(पच्चीसवां संशोधन) रेगुलेशनज़, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:पर(एपी-बी)ए(3)-11/2013 दिनांक 30.4.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 3.5.2016 को प्रकाशित;
- (iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, उप-सचिव, गैर-हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, वर्ग-I(राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या: पर(एपी-बी) ए(3)-15/2013 दिनांक 19.7.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.07.2016 को प्रकाशित;
- (v) हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002(2002 का अधिनियम संख्याक 15) की धारा 64 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश रीवर राफ्टिंग (संशोधन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या: टी.एस.एम.-ए(3)-8/2015 दिनांक 29.10.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 3.11.2016 को प्रकाशित; और
- (vi) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 29(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के संकलित वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 (विलम्ब के कारणों सहित);
- (vii) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 37(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित) ;
- (viii) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 37(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित) ;
- (ix) हिमाचल प्रदेश संरचना विकास अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य संरचना विकास बोर्ड, शिमला का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16;
- (x) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य संरचना विकास निगम सीमित, शिमला का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 ।

- (2) श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
- (i) हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबन्धन उत्तरदायित्व अधिनियम, 2014 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबन्धन उत्तरदायित्व अधिनियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:एम0पी0पी0-ए(3)-2/2013-I दिनांक 18.7.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.7.2016 को प्रकाशित; और
  - (ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 395 के अन्तर्गत सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 ।
- (3) श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
- (i) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूची-'क' और 'ख' में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-5/2015 दिनांक 24.2.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.3.2016 को प्रकाशित;
  - (ii) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-3/2014 दिनांक 25.2.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.03.2016 को प्रकाशित;
  - (iii) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की अनुसूचि-2 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-25/2014-लूज़ दिनांक 09.3.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.3.2016 को प्रकाशित;

- (iv) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-7/2011-वोल्यूम-I दिनांक 28.3.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.3.2016 को प्रकाशित;
- (v) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की अनुसूची-2 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-14/2014 दिनांक 19.4.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.4.2016 को प्रकाशित;
- (vi) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूची-'ख' में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-20/2014 दिनांक 11.8.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.08.2016 को प्रकाशित;
- (vii) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की अनुसूची-2 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-13/2016 दिनांक 20.8.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.8.2016 को प्रकाशित;
- (viii) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-'क' और 'ख' में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-5/2015 दिनांक 01.10.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.10.2016 को प्रकाशित;
- (ix) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (3) और (4) के अन्तर्गत सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स (हिमाचल प्रदेश) संशोधन रूल्ज़, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(1)-3/2012 दिनांक 17.11.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.11.2016 को प्रकाशित; और

- (x) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूची-'क' में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-20/2014 दिनांक 17.11.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2016 को प्रकाशित ।

## 5. अध्यादेश:

- (i) श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 01.10.2016 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक 4) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखेंगे।
- (ii) श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1)के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 06.09.2016 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक 3) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखेंगे।

## 6. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

- (1) श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-
- (i) समिति का 155वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11(राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्बन्धित है;
- (ii) समिति का 156वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से सम्बन्धित है;

- (iii) समिति का 157वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 135वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा श्रम एवं रोजगार विभाग से सम्बन्धित है; और
- (iv) समिति का 158वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 139वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा श्रम एवं रोजगार विभाग से सम्बन्धित है ।
- (2) श्री राकेश कालिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2016-17), समिति का 27वां मूल प्रतिवेदन जोकि सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।
- (3) श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2016-17), समिति का 19वां मूल प्रतिवेदन जोकि पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

#### 7. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्री महेश्वर सिंह, "सरकार द्वारा शस्त्र लाईसेंस के शुल्क में अकस्मात 50 गुणा वृद्धि करने" से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

#### 8. विधायी कार्य :

##### सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम }  
(द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 }  
(2016 का विधेयक संख्यांक 21) }

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

9. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

श्री संजय रतन  
श्री अजय महाजन  
श्री मोहन लाल ब्रावटा  
श्री कुलदीप कुमार

प्रस्ताव करेंगे कि:

"दिनांक 8 नवम्बर, 2016 को केन्द्र सरकार द्वारा की गई नोटबन्दी से प्रदेश की जनता को हो रही असुविधा बारे यह सदन विचार करे।"

धर्मशाला-176215  
दिनांक: 19 दिसम्बर, 2016

सुन्दर सिंह वर्मा,  
सचिव ।

\*\*\*\*\*

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)